<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2341

08 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

दोषपूर्ण/घटिया इस्पात का आयात

2341. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दोषपूर्ण या घटिया स्टील का आयात किया जा रहा है जो घरेलू निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस मामले पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है;

(ग) क्या घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दोषपूर्ण और घटिया इस्पात के आयात को रोकने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विभिन्न इस्पात उत्पादों के आयात हेतु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में 367530 मिट्रिक टन मात्रा वाले दोषपूर्ण इस्पात का आयात किया गया था।

(ख): जी हाँ। ईईपीसी सदस्यों को प्रतिस्पर्धी दरों पर इस्पात की आपूर्ति से संबंधित मामले की चर्चा के लिए दिनांक 11.06.2019 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी।

(ग) से (ङ): इस्पात मंत्रालय ने 53 इस्पात और इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को कार्यान्वित किया है जो घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयातों पर भी लागू होता है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मानव, पशु और वनस्पति का संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जनहित में कार्यान्वित किया गया है।

****